न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 108/2023

बन्ना पुत्र नन्दा, जाति जाट, निवासी– ग्राम उदयपुर खुर्द हाल निवासी– टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. नोरती पुत्री काना ना.बा. जरिये संरक्षक माता प्रेम देवी पत्नि काना, जाति नाई, निवासी– ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. जगदीश पुत्र मांगीलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. प्रेम देवी पत्नि काना, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. पन्ना पुत्र मांगीलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. राजू पुत्र काना, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
6. रामगोपाल पुत्र मांगीलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
7. सायरी पत्नि मांगीलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
8. तारा देवी पुत्री चांदमल, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी–गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
9. नरेश कुमार पुत्र नानू ना०बा० जरिये संरक्षक सरपस्त माता भगवती देवी पत्नि नानू, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
10. भगवती देवी पत्नि नानू, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी–गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
11. रविन्द्र पुत्र शिवराज नाबा० जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि शिवराज, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
12. आनन्द पुत्र शिवराज नाबा० जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि शिवराज, जाति नाई, निवासी– ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
13. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि शिवराज, जाति नाई, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
14 जमना पत्नि किशना, जाति जाट, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
15 विश्राम (दत्तक) पुत्र किशना, जाति जाट, निवासी ग्राम टिकावड़ा, हाल निवासी–गोदियाना, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
16 हरिराम पुत्र नन्दाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम हरमाड़ा, हाल निवासी टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
17. भुवान पुत्र नन्दाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम हरमाड़ा, हाल निवासी– टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
18 श्रीमती गंगा पत्नि नन्दाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम हरमाड़ा, हाल निवासी–टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
19. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर।
20 पटवारी पटवार हल्का मुंवाडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

21. चन्द्री पत्नि स्व. नन्दा, जाति जाट, निवासी उदयपुर खुर्द हाल टिकावड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

.....प्रर्फोमा अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री सुण्डाराम जाट

निर्णय दिनांक 24.02.2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सुण्डाराम जाट के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थी व प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की कृषि भूमि ग्राम खेड़ा, पटवार हल्का भुवाड़ा, भू–अभि० नि० क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या नया 57 पुराना 39 के खसरा संख्या 127 क्षेत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा भूमि एवं जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या नया 75 पुराना 63 के खसरा संख्या 126 क्षेत्रफल 6 बिस्वा का 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार काब्जि काश्त करते चले आ रहे है। एवं उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 का उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा हैं। उक्त खसरा नम्बरों में से खसरा संख्या 126 गै०मु०चाह का कोई विवाद नही है तथा खसरा संख्या 126 गै०मु०चाह के बाबत् इस प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की भूमि के पडौस में नींव सींव से लगती हुयी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की खातेदारी कृषि भूमि जो कि ग्राम खेडा, पटवार हल्का भुवाडा, भू०अ०नि० क्षेत्र सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है जिसके खसरा संख्या 121, 122, 128 है। अप्रार्थी संख्या 1 से 18 आये दिन प्रार्थी व प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 127 की नींव, सींव, मेड़, डोल आदि को लेकर लड़ाई–झगडा करते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 18 अनावश्यक रूप से प्रार्थी एवं प्रर्कोमा अप्रार्थी संख्या 21 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 127 की नींव, सींव, मेड़ को लेकर अनाधिकृत बलात कब्जा करने का प्रयास करते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 द्वारा प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकोर्ड अनुसार मौके पर स्थित सीमाओं में विवाद एवं व्यवधान उत्पन्न करने का हक अधिकार नहीं है इसलिए भी प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि खसरा संख्या 127 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। ताकि प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 127 पर अप्राथर्थी संख्या 1 से 18 द्वारा अनावश्यक अतिक्रमण ना करें, तथा सीमाओं का विवाद आदि भी नहीं हो। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि खसरा संख्या 127 की सीमा को लेकर विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब किशनगढ़ जिला अजमेर को उक्त भूमि की सीमाज्ञान कराने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब किशनगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 13.05.2016 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 के भूमि की सीमाओं में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। तथा आये दिन सीमाओं के विवाद को लेकर लड़ाई–झगड़ा व गाली–गलौच करते रहते है। इसलिए प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की खातेदारी भूमि केवल मात्र खसरा संख्या 127 की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

त्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। दिनांक 13.04.2023 को प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 127 के खेत में सूड–सपाट व हल जोतने रहे थे तो अप्रार्थी संख्या 1 से 18 व उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 127 की सीमाओं को लेकर विवाद किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 को निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 127 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 का कोई लेना देना संबंध व सरोकार नहीं है, तभी अप्रार्थी संख्या 1 से 18 ने मौके पर प्रार्थी के साथ गाली गलौच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि पर ब्लात कब्जा करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की भूमि खसरा संख्या 127 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि अप्रार्थी संख्या 19 व 20 की उपस्थिति में मय पुलिस इमदाद के प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थी संख्या 21 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 127 की भूमि के मौके पर सीमा पर पत्थरगढ़ी नही करवाई गयी तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 18 प्रार्थी एवं प्रर्कोमा अप्रार्थी संख्या 21 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 127 की सीमा पर आये दिन बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करेगें, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगें तथा वादों की बहुलता बढेगी। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने पर उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 19 व 20 द्वारा करवायी जानी है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। अन्य कोई अनुतोष अप्रार्थी संख्या 19 व 20 के विरूद्ध नही चाहा गया है, प्रार्थना पत्र अधीन भूमि ग्राम खेड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवाणाधिकार में स्थित है जिस पर सुनवाई करने का श्रीमान् को अधिकार प्राप्त है, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 19 तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर एवं अप्रार्थी संख्या 20 पटवारी पटवार हल्का भुवाडा को आदेश दिया जावे कि वे स्वयं खसरा संख्या 127 के मौके पर मय पुलिस इमदाद के जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थी व प्रर्कोमा अप्रार्थी संख्या 21 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 127 की पत्थरगढ़ी करावें। तथा माननीय न्यायालय प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजो के आधार पर अन्य कोई अनुतोष प्रार्थी को को दिलाना उचित समझे वह भी दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2023 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 से 18 व 21 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये किन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 13.05.2024 तक भी अप्रार्थी संख्या 01 से 18, 21 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 19 पैरोकार सरकार ने आदेशिका पर अंकन किया कि यदि वादअधीन भूमि का राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढी की जावे तो अप्रार्थी संख्या 19 को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 05.02.2025 को हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम खेडा पटवार हल्का भुंवाडा तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 127 रकबा 1.7313 हैक्टेयर प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी है तथा भू.अ.नि. एवं पटवार हल्का द्वारा दिनांक 13.05.2016 वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी 127 रकबा 1.7313 हैक्टेयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खेडा पटवार हल्का भुंवाडा तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 127 रकबा 1.7313 हैक्टेयर का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/– रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें, कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़, (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़, अजमेर